

O/o CE (EITC)
Receipt No. 3135
Date 30.11.2017
DGM (IT) / SE (O)
EE Web
Section



छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(A Government of Chhattisgarh Undertaking) &
(A Successor Company of CSEB)

CIN-U40108CT2003SGC015822

OFFICE OF CHIEF ENGINEER (RA&PM) CSPDCL, RAIPUR

PHONE No. (0771)-2574441 FAX No. (0771)- 2574442

Website: www.cspdcl.co.in

E-mail ID: cecomcseb@rediff.com

क्र. 02-02/अ.मु.अभि.-II/राजस्व 2489

रायपुर, दिनांक 29/11/17

प्रति,

कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (क्षे.)
(रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/राजनान्दगांव
/जगदलपुर/अंबिकापुर)
(रा.क्षे./बि.क्षे./दु.क्षे./राज.क्षे./ज.क्षे./अं.क्षे.)
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

विषय: खपत की गई बिजली की मात्रा पर देय ऊर्जा प्रभार में 80 पैसे प्रति यूनिट छूट के संबंध में।

संदर्भ: विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 2941/एफ 29/02/2016/13/2 नया रायपुर, दिनांक 28.11.2017.

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से राज्य शासन द्वारा राज्य के स्टील उद्योगों को रियायती पैकेज के तहत छूट 220 के.व्ही., 132 के.व्ही., 33 के.व्ही. एवं 11 के.व्ही. पर 2 मिलियन टन वार्षिक क्षमता तक के स्टील उत्पादक तथा एच.व्ही. 4 टैरिफ संवर्ग में सम्मिलित अन्य स्टील उद्योग जो, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड से बिजली प्राप्त कर रहे हैं, को वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से 31 मार्च 2018 तक की कालावधि में खपत की गई बिजली की मात्रा पर देय ऊर्जा प्रभार में 80 पैसे (अक्षरी अस्सी पैसे) प्रति यूनिट की छूट प्रदान की गई है।

बिजली की मात्रा पर देय ऊर्जा प्रभार में प्रति यूनिट छूट से संबंधित आदेश की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

29.11.2017
अति. मुख्य अभियंता-रा
(नियामक कार्य एवं ऊर्जा प्रबंधन)
छ.रा.वि.वित.कं.मर्या., रायपुर

प्रतिलिपि:-


01. निदेशक (संचा./संधा.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, रायपुर।
02. कार्यपालक निदेशक (संचा./संधा.) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, रायपुर,
03. कार्यपालक निदेशक (इ.आई.टी.सी.) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, रायपुर, सैप प्रणाली में नवीनीकरण एवं ऊर्जा नेट पर प्रसार करने बाबत।

छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

आदेश

नया रायपुर, दिनांक **28 NOV 2017**

क्रमांक ²⁹⁶¹ / एफ 29/02/2016/13/2:: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 01 अप्रैल 2017 से लागू नई विद्युत की दरों से उत्पन्न परिस्थिति में राज्य के स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने को ध्यान में रखते हुए जनहित में राज्य शासन, एतद्वारा, रियायती पैकेज के तहत 220 केव्ही, 132 केव्ही, 33 केव्ही, 11 केव्ही पर 02 मिलियन टन वार्षिक क्षमता तक के स्टील उत्पादक तथा एच.व्ही.-4 टैरिफ संवर्ग में सम्मिलित अन्य स्टील उद्योग जो, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से बिजली प्राप्त कर रहे हैं, को वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि में खपत की गई बिजली की मात्रा पर देय ऊर्जा प्रभार में 80 पैसे (अक्षरी अस्सी पैसे) प्रति यूनिट की छूट प्रदान करता है।




(एम0एस0 रत्नम)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग

पृष्ठां.क्रमांक: ²⁹⁶² / एफ 29/02/2016/13/2
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक **28 NOV 2017**

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं भारसाधक मंत्री, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज लिमिटेड, उंगनिया, रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. विशेष सचिव, छ0ग0 शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. सचिव, छ0रा0 विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर, रायपुर।
8. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग/उत्पादन/पारेषण/वितरण/ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, उंगनिया, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, छत्तीसगढ़ शासन, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
10. डायरेक्टर, (संचालन संधारण)/(कमर्शियल एण्ड रेग्युलेटरी अफेयर्स), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, उंगनिया, रायपुर।
11. डायरेक्टर, वाणिज्य विभाग, छ0ग0 शासन, नया रायपुर की ओर प्रसार-प्रसार हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग